


मनोरंजन कर विभाग उत्तर प्रदेश
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1- The particulars of its organization, function and duties

संगठन—शासन स्तर पर मनोरंजन कर विभाग 'कर एवं निबन्धन विभाग' द्वारा नियंत्रित होता है। इस विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त, मनोरंजन कर हैं, जिनका कार्यालय लखनऊ स्थित जवाहर भवन के आठवें तल पर स्थित है, जो इस विभाग का मुख्यालय भी है। विभाग का मुख्यालय मनोरंजन कर आयुक्त के नियंत्रणाधीन है जहाँ एक अपर आयुक्त, चार उपायुक्त, एक सहायक आयुक्त, वित्त नियंत्रक एवं आवश्यकतानुसार मनोरंजन कर निरीक्षक व कार्यालय कर्मचारी कार्यरत हैं। मुख्यालय पर मुख्य रूप से स्थापना, सांख्यिकीय, प्रवर्तन, विधि एवं लेखा अनुभाग स्थापित हैं।

जनपद स्तर पर मनोरंजन कर विभाग सीधे जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रणाधीन कार्य सम्पन्न करता है। जिला मजिस्ट्रेट के सहयोग हेतु प्रत्येक जनपद में जनपद की स्थिति के अनुरूप उपायुक्त/सहायक आयुक्त, मनोरंजन कर/जिला मनोरंजन कर अधिकारी नियुक्त हैं तथा जनपद की आवश्यकता के अनुसार मनोरंजन कर निरीक्षक एवं कार्यालय कर्मी तैनात किये गये हैं। विभाग के मुख्य कार्यों का संचालन जनपद स्तर से ही सम्पन्न होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है।

विभागीय संगठनात्मक ढांचा



विभाग के क्रियाकलाप

- 1— मनोरंजन के साधनों को विनियमित करना।
- 2— मनोरंजन के साधनों हेतु लाइसेंस प्रदान करना, अनुमति प्रदान करना एवं समय पर नवीनीकरण करना।

- 3— मनोरंजन के साधनों पर कर का निर्धारण एवं उसकी वसूली करना।
- 4— करापवंचन की रोकथाम करना।
- 5— मनोरंजन साधनों की गुणवत्ता व उपयोगिता बनाये रखना।
- 6— मनोरंजन व्यवसाय को सुदृढ़ बनाना।

मनोरंजन कर विभाग जनता के लिए उपलब्ध मनोरंजन के विभिन्न साधनों को प्रचलित अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत विनियमित करता है। विभाग मनोरंजन के साधनों को विनियमित करने हेतु उनको अनुज्ञा-पत्र एवं अनुमति प्रदान करता है तथा निश्चित समयावधि पर उनका नवीनीकरण भी करता है। मनोरंजन के प्रचलित साधनों के अनुज्ञा-पत्र/अनुमति प्रदान करने का कार्य जनपद स्तर पर जिला मनोरंजन कर अधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। इस संबंध में जनपद स्तरीय सम्यक् जानकारी सम्बंधित जनपद के जिला मनोरंजन कर कार्यालय तथा राज्य स्तरीय सम्यक् जानकारी मुख्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु शासन द्वारा कर की दर निर्धारित की जाती है और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मनोरंजन के साधनों से निर्धारित दर के अनुरूप कर का निर्धारण कर मनोरंजन कर की वसूली करता है। कर निर्धारण विषयक जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति उक्त आदेश के विरुद्ध शासन में अपील कर सकता है। मनोरंजन कर की वसूली का कार्य जिला स्तर से सम्पन्न होता है।

दायित्व—

वर्तमान में उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 एवं सम्बंधित नियमावली, 1981 तथा उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 एवं सम्बंधित नियमावली, 1951 के प्राविधानों का मनोरंजन कर विभाग द्वारा मुख्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है। उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 के अंतर्गत छविगृहों, जो मनोरंजन कर का एक प्रमुख स्रोत है, के लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान किये जाते हैं और वह ही इसके लाइसेंस प्राधिकारी हैं।

विभाग में तैनात अधिकारियों/निरीक्षकों का मुख्य दायित्व शासन की नीतियों, प्रचलित अधिनियमों/नियमों के अनुरूप आमोद के स्रोतों का चिन्हिकरण कर इन्हें कर के दायरे में लाना और इस दिशा में होने वाले करापवंचन को रोकना है।